लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2019
संख्या-8/2019/505/तीस-4-2019-363/93टीसी

प्रेषक,

आराधना शुक्ला,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

परिवहन अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक: 19 मार्च, 2019

विषय: लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2019 की आवश्यकता के लिए गाड़ियों की मरम्मत के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-8/2017/30-4-2017-363/93टीसी, दिनांक 25.01.2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2019 में उपयोग की जाने वाली सरकारी गाड़ियों की मरम्मत तथा उसमें व्यय होने वाली धनराशि के भुगतान के संबंध में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जायेगी:-

1. जिन विभागों की गाड़ियों को जिलाधिकारी द्वारा लिया जायेगा उन सरकारी गाड़ियों की मरम्मत संबंधित विभागों द्वारा जिलाधिकारी की स्वीकृत से करायी जायेगी। मरम्मत के पूर्व गाड़ियों का निरीक्षण परिवहन विभाग के स्थानीय सम्भागीय परिवहन अधिकारियों, यदि जिलें में नियुक्त हों अथवा प्राविधिक निरीक्षकों द्वारा किया जायेगा, जो प्रत्येक गाड़ी की आवश्यक मरम्मत के अनुमान बनाकर संबंधित विभाग के प्राधिकारी को भेंजेगें। विभिन्न विभाग अपनी गाड़ियों का अनुरक्षण बजट में उपलब्ध प्राविधान के अनुसार ही करेंगें तथा इसके लिए कोई अतिरिक्त धनराशि देय नहीं होगी।
2. निर्वाचन के लिए जो विभाग बिना मरम्मत कराये अपनी गाड़ी जिलाधिकारी को सौंपता है, उसकी मरम्मत होने पर होने वाला व्यय संबंधित विभाग को वहन करना पड़ेगा।
3. निर्वाचन के लिए अधिग्रहीत प्रति गाड़ी पर औसतन व्यय रू0 22,500.00 (रूपये- बाइस हजार पॉच सौ मात्र) तक किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त यदि किसी गाड़ी पर अधिक व्यय आवश्यक हुआ, तो उसके लिए मण्डलायुक्त अपने मण्डल के सभी जिलों की पूरी गाड़ियों के लिए रू02,80,000.00 (रूपये-दो लाख अस्सी हजार मात्र) तक व्यय स्वीकृत कर सकते हैं।
4. मरम्मत के बिलों का सत्यापन परिवहन आयुक्त से कराना आवश्यक न होगा और जिलाधिकारी की संस्तुति के पश्चात भुगतान कर दिया जायेगा।
5. गाड़ियों की मरम्मत के बिलों का भुगतान संबंधित विभाग द्वारा अपने बजट से किया जायेगा।
6. विशेष परिस्थितियों में गाड़ियों की छोटी-छोटी मरम्मत निम्नानुसार करायी जा सकेगी:-
   (क) सरकारी गाड़ियों की मरम्मत उक्त शासनादेश में विहित सीमान्तर्गत मान्यता प्राप्त गैराजों से ही करायी जाय।
   (ख) यदि ऐसा करना सम्भव न हो तो ऐसी मरम्मत गृह विभाग, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, कृषि विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जिनके पास गाड़ियों की मरम्मत के लिए अपनी विभागीय कार्यशालायें तथा तकनीकी स्टाफ उपलब्ध है, की कार्यशाला से करायी जाय, परन्तु ऐसे जनपदों में जहॉ पर ऐसी मरम्मत के लिए मान्यता प्राप्त कार्यशालाएं नहीं हैं और न ही विभागीय कार्यशालाएं हैं, वहॉ पर ऐसी मरम्मत उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम अथवा उत्तर प्रदेश स्टेट एग्रो इण्डिस्ट्रियल कारपोरेशन लि0 की कार्यशालाओं से करायी जा सकती हैं।
   (ग) यदि उपरोक्तानुसार सरकारी गाड़ियों की मरम्मत किया जाना सम्भव न हो तो उस दशा में अन्य गैराज से मरम्मत करायी जा सकती है।
7. जिलाधिकारी चुनाव के लिए अपेक्षित गाड़ियों की सूची बनायेंगे तथा अधिकारियों को जिनसे गाड़ियॉ प्राप्त की जायेंगी, मरम्मत के लिए स्वीकृत औसत व्यय सूचित करेंगें।

2- यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यद्यपि गाड़ियों की अनिवार्य एवं आवश्यक मरम्मत करायी जाय, तथापि इसका विशेष ध्यान रखा जाय कि मरम्मत में अनावश्यक व्यय न हो, मरम्मत के पश्चात सम्भागीय निरीक्षक द्वारा गाड़ी का पुन: निरीक्षण किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि गाड़ियों की सही एवं उचित मरम्मत की गयी है। समस्त संभागीय तथा सहायक संभागीय परिवहन अधिकारियों को यह निर्देश दे दिये जाय कि वे संबंधित जिलाधिकारियों से सम्पर्क करके निर्वाचन में प्रयुक्त होने वाली गाड़ियों की मरम्मत व उनके निरीक्षण करने की कार्यवाही तुरन्त पूर्ण करायें।

3- पूर्व निर्वाचनों में यह देखने में आया है कि कतिपय जनपदों में निर्वाचन के दौरान हल्केवाहनों की मरम्मत में बहुत बड़ी धनराशि वहन करनी पड़ती है, जिससे निर्वाचन कार्य हेतु सौंपने से पूर्व विभागों द्वारा अपने वाहनों की मरम्मत उपर्युक्त ढंग से नहीं करायी जाती है। अत निर्वाचन कार्य हेतु इन गाड़ियों को सौंपने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि वाहनों की उचित मरम्मत कर ली गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

4- पूर्व निर्वाचनों में यह देखने में आया है कि कुछ गाड़ियों की विभाग द्वारा मरम्मत नहीं करायी जाती हैऔर उन्हें वैसे ही जिलाधिकारियों को सौंप दिया जाता है। अत ऐसी स्थिति में यह सुनिश्चित किया जाय कि जिलाधिकारी ऐसे वाहनों में रू0 22,500.00 (रूपये-बाइस हजार पॉच सौ मात्र) तक की सीमा में गाड़ियों की मरम्मत आवश्यकतानुसार करायें, जिसका भुगतान उस विभाग से किया जायेगा, जिसकी गाड़ी है।

5- उपर्युक्त शिथिलीकरण केवल वर्तमान लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2019 तक ही लागू रहेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-9-666/दस-2019 दिनांक 19 मार्च, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आराधना शुक्ला)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 8/2019/505(1)/तीस-4-2019-363/93टीसी तदद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार(लेखा परीक्षा) सी0ए0ए0एस0-3-टी0ए0डी0 कोआर्डिनेशन, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश)।
7. समस्त उप परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश)।
8. वित्त(व्यय नियत्रण) अनुभाग-9
9. गार्ड-फाईल।

आज्ञा से,

(आशुतोष चन्द्र पाण्डेय)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।